Office of the Accountant General (A&E), Kerala,
P.B.No.5607, M.G.Road, Thiruvananthapuram-695039,
Phone: 0471-2330311, Fax: 0471-2330242.

P19/II/DRSSA-74/UP Dated: 21/08/2017

To

All District/Sub Treasury Officers

Sir,

Sub: Implementation of Government decision of 7th Central Pay Commission revision of Pension /Family Pension to Uttar Pradesh Pay Commission (2016)-Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc.

Ref: 1.SSA No.Pension Miscellaneous/Dearness Relief/53/478 dated 03/08/2017 of Accountant General (A&E)-II, Allahabad,Uttar Pradesh.
2.OM No. 39/2016-Gen-3-923/X-2016-308/2016 dated 23/12/2016 of Finance (General) Section-3, Government of Uttar Pradesh.

I am to enclose herewith copies of Government orders issued by the Government of Uttar Pradesh regarding Implementation of Government decision of 7th Central Pay Commission revision of Pension /Family Pension to Uttar Pradesh Pay Commission (2016)-Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners forwarded to this office with SSA by Principal Accountant General (A&E)-II,Uttar Pradesh, in the reference cited. The same is being placed in the official website of this office (www.agker.cag.gov.in) under the link :- ***"Treasury endorsement of orders for other states"***. A copy of the same may be exhibited on the notice board of the treasury.

Yours faithfully,

Sr. Accounts Officer

Copy to:-
The Director of Treasuries
Thiruvananthapuram

Sr. Accounts Officer

P19/II/DRSSA/74
2/8/17

विशेष मुद्रांकन स्पेशलसील सहित।

भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
कार्यालय महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) द्वितीय, उत्तर प्रदेश

INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT

OFFICE OF THE ACCOUNTANT GENERAL (ACCOUNTS & ENTITLEMENT) 2, U.P.
इलाहाबाद/ALLAHABAD

P19
202342
17-8-17

सत्यमेव जयते

सेवा में,

वरिष्ठ लेखाधिकारी / पेंशन
भारतीय लेखा तथा लेखापरीक्षा विभाग
प्रधान महालेखाकार (ले०एवं हक०) का
कार्यालय केरल, एम.जी रोड
तिरुवनन्तपुरम - 695001

पत्र सं. / Letter No. : पे०वि०/ मं०रा०/ वा०रा०/ एक्स० 53/478

दिनांक / Date : 03.08.2017

विषय:- उत्तर प्रदेश राज्य का 01.01.16 से सातवें वेतन आयोग का शासनादेश पुनः प्रेषित करने के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्रांक P19/II/D.R/Fax/U.P/2/2017-18 दिनांक 19.7.17 द्वारा इस कार्यालय को अवगत कराया है कि अभी तक उ०प्र० राज्य का 01.01.16 से सातवें वेतन आयोग का शासनादेश प्रधान महालेखाकार (ले०एवं हक०) केरल, तिरुवनन्तपुरम को अप्राप्त है।

अतः उपरोक्त शासनादेश स्पेशल सील के अन्तर्गत इस कार्यालय के पत्रांक पे०वि०/ मं०रा०/ वा०रा०/ 478 दिनांक 03.8.17 द्वारा आपके कार्यालय प्रधान महालेखाकार (ले०एवं हक०) केरल, तिरुवनन्तपुरम को प्रेषित कर दिया गया है। पुनः छाया प्रति प्रेषित है / उपरोक्त शासनादेश की अंग्रेजी भाषा अनुवाद उ०प्र० शासन से अप्राप्त है।

संलग्नक :- उपरोक्तानुसार

भवदीय

लेखाधिकारी / पेंशन निधि

२०, सरोजनी नायडू मार्ग, इलाहाबाद - २११ ००१ दूरभाष : कार्यालय २६२२६२५ - २६२२६२६ फैक्स : ०५३२-२४२३४०२
20, Sarojini Naidu Marg, Allahabad, 211 001 Phones : Off. 2622625, 2622626 Fax : 0532-2423402

संख्या-39/2016-सा-3-923/दस-2016-308/2016

प्रेषक,

अजय अग्रवाल,
सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1- समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
2- समस्त विभागाध्यक्ष/प्रमुख कार्यालयाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

वित्त (सामान्य) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक : 23 दिसम्बर, 2016

विषय :- वेतन समिति उत्तर प्रदेश (2016) की संस्तुतियों के संबंध में राज्य सरकार के निर्णय का क्रियान्वयन- वर्ष 2016 से पूर्व के पेंशनभोगियों/पारिवारिक पेंशनभोगियों आदि की पेंशन का संशोधन।

महोदय,

उपर्युक्त विषय की ओर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) के प्रथम प्रतिवेदन के भाग-2 की संस्तुतियों को राज्य सरकार द्वारा सम्यक् विचारोपरान्त संकल्प संख्या-62/2016/वे0आ0-2-2643/दस-04(एम)/2016, दिनॉक 16-12-2016 द्वारा किये जाने के अनन्तर श्री राज्यपाल दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत सरकारी सिविल पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों की पेंशन का पुनरीक्षण किये जाने संबंधी प्रावधानों का विनियमन करने वाले प्रावधानों को निम्नानुसार संशोधित किये जाने के सहर्ष आदेश देते हैं।

2- यह आदेश उत्तर प्रदेश सिविल सर्विस रेग्युलेशन्स द्वारा नियंत्रित राज्य सरकार के उन पेंशनरों, जो उत्तर प्रदेश लिबरलाईज्ड पेंशन रूल्स 1961, उत्तर प्रदेश रिटायरमेन्ट बेनीफिट रूल्स 1961, नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 तथा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन प्राप्त करने के हकदार हैं, तथा जो दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त या दिवंगत हो चुके हैं, पर लागू होंगे। यह आदेश अशक्तता पेंशन तथा असाधारण पेंशन नियमावली (गैर सरकारी व्यक्तियों की असाधारण पेंशन को छोड़कर) के अन्तर्गत पेंशन पाने वाले पेंशनरों पर भी लागू समझे जायेंगे, किन्तु यह आदेश उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों, लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्यों,

http://shasanadesh.up.nic.in

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

शिक्षा विभाग के गैर सरकारी सेवकों, स्थानीय निकायों तथा सार्वजनिक उपक्रमों आदि के सेवकों पर लागू नहीं होंगे।

3-इन आदेशों के अन्तर्गत

(क)- वर्तमान पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर का तात्पर्य उन पेंशनरों से है जो दिनॉक 31-12-2015 को राज्य सरकार के नियमों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन आहरित कर रहे थे या पेंशन/पारिवारिक पेंशन पाने के हकदार थे।

(ख)- "वर्तमान पेंशन" का तात्पर्य मूल पेंशन (राशिकृत भाग, यदि कोई हो,को सम्मिलित करते हुए) जो दिनॉक 31-12-2015 को देय थी, से है। पेंशनों में वे सभी श्रेणी की पेंशनें सम्मिलित हैं जिनका उल्लेख उक्त प्रस्तर-2 में किया गया है।

(ग)- "वर्तमान पारिवारिक पेंशन" का तात्पर्य उस मूल पारिवारिक पेंशन से है जो नई पारिवारिक पेंशन योजना, 1965 के अधीन शासनादेश संख्या-सा-3-657/दस-900/78, दिनांक 10-05-1978 अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-1563/दस-921/81, दिनांक 03-11-1981 में उल्लिखित दरों पर, दिनॉक 31-12-1995 को अथवा शासनादेश संख्या-सा-3-969/दस-923/85, दिनांक 08-08-1986 से विनियमित पारिवारिक पेंशनरों को दिनॉक 31-12-2015 को अनुमन्य थी।

4- ऐसे वर्तमान पेंशनर जो दिनॉक 01-01-2016 के पूर्व सेवानिवृत्त/दिवंगत हुए हैं, की पेंशन/पारिवारिक पेंशन को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों के क्रम में मिल रही पेंशन को 2.57 से गुणा कर आगणित किया जायेगा। इस प्रकार से आगणित धनराशि को अगले रूपये में पूर्णांकित करते हुए पेंशन/पारिवारिक पेंशन का निर्धारण किया जायेगा।

उदाहरण-1 **पेंशनर-ए** वेतनमान रू0 67000-79000 में अन्तिम मूल वेतन रू0 79000/- प्राप्त करते हुए दिनॉक 31-05-2015 को उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में प्राप्त करते हुए सेवानिवृत्त होता है, उसकी पेंशन उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में रू0 39500/- निर्धारित होती है। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक का उपयोग करते हुए उसकी पेंशन पुनरीक्षित होकर रू0 1,01,515/- निर्धारित होगी।

उदाहरण-2 **पेंशनर-बी** चतुर्थ वेतन आयोग की संस्तुतियों पर लागू वेतनमानों में वेतनमान रू0 3000-100-3500-125-4500 में अन्तिम मूल वेतन रू0 4000/- पाते हुए दिनॉक 31-01-1989 को सेवानिवृत्त हुआ और उसकी पेंशन तत्समय रू0 1940/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2008) की संस्तुतियों पर

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

उसकी पुनरीक्षित पेंशन रू0 12600/- निर्धारित हुई। उत्तर प्रदेश वेतन समिति (2016) की संस्तुतियों पर 2.57 के गुणांक के आधार पर उसकी पेंशन रू0 32,382/- निर्धारित होगी।

5- पुनरीक्षित पेंशन में राशिकृत धनराशि, यदि कोई है, भी सम्मिलित होगी। राशिकृत धनराशि को काटते हुए, जो धनराशि आयेगी, उसके अनुसार मासिक पेंशन दी जायेगी।

6- दिनॉक 01-01-2016 से न्यूनतम पेंशन की धनराशि रू0 9000/- होगी। (80 वर्ष से अधिक आयु के पेशनरों को मिलने वाली अतिरिक्त पेंशन को छोड़कर) पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन की उच्च सीमा राज्य सरकार में उपलब्ध उच्चतम वेतन की क्रमश: 50 प्रतिशत और 30 प्रतिशत होगी।

6(1)- वृद्ध पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को अनुमन्य पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि निम्नानुसार मिलना जारी रहेगी :-

पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर की आयु	पेंशन/पारिवारिक पेंशन की अतिरिक्त धनराशि
80 वर्ष की आयु परन्तु 85 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 20 प्रतिशत प्रतिमाह
85 वर्ष की आयु परन्तु 90 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 30 प्रतिशत प्रतिमाह
90 वर्ष की आयु परन्तु 95 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 40 प्रतिशत प्रतिमाह
95 वर्ष की आयु परन्तु 100 वर्ष से कम	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 50 प्रतिशत प्रतिमाह
100 वर्ष की आयु या उससे अधिक	पुनरीक्षित मूल पेंशन/पारिवारिक पेंशन का 100 प्रतिशत प्रतिमाह

अतिरिक्त पेंशन को पेंशन भुगतान आदेश में अलग से दिखाया जायेगा। **उदाहरणार्थ** यदि पेंशनर की आयु 80 वर्ष से अधिक है और उसकी पेंशन की धनराशि रू0 10,000/- प्रतिमाह है, में पेंशन इस प्रकार दर्शायी जायेगी, **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-2,000/- । 85 वर्ष की आयु पूर्ण करने पर , **(i)** मूल पेंशन- रू0-10,000/- **(ii)** अतिरिक्त पेंशन रू0-3,000/- प्रतिमाह होगी।

6(2)- उपर्युक्तानुसार निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन दिनॉक 01-01-2016 से स्वीकृत महँगाई राहत भी सम्मिलित है।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

7- उन मामलों में जहाँ पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि न्यूनतम धनराशि रू0 9000/- से कम आगणित होती है, तो उसे रू0 9000/- के स्तर पर उच्चीकृत कर दिया जायेगा और यह दिनाँक 01-01-2016 से पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन होगी।

8- राजकीय पेंशनरों को पेंशन, ग्रेच्युटी, पेंशन राशिकरण, पारिवारिक पेंशन, महँगाई राहत तथा अन्य सुविधायें यथा अतिरिक्त पेंशन/पारिवारिक पेंशन, एक्स-ग्रेशिया एकमुश्त कम्पेन्शेसन आदि, जो केन्द्र के समान देय रही हों, को दिनाँक 01-01-2016 से लागू पुनरीक्षित वेतनमानों में अनुमन्य की जाये।

9- इन आदेशों के अन्तर्गत पेंशन/पारिवारिक पेंशन का पुनरीक्षण संबंधित कोषागारों द्वारा किया जायेगा। पुनरीक्षण के फलस्वरूप निर्धारित होने वाली पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम तथा अधिकतम धनराशि इस आदेश के प्रस्तर-6 में दी गयी सीमा के अनुसार होगी। जहाँ पुनरीक्षण के फलस्वरूप पेंशन/पारिवारिक पेंशन की धनराशि रू0 9000/- प्रतिमाह से कम हो रही हो वहाँ संबंधित कोषागार द्वारा पेंशन/पारिवारिक पेंशन की राशि रू0 9000/- प्रतिमाह तक बढा दी जायेगी। पेंशन/पारिवारिक पेंशन के पुनरीक्षण हेतु संबंधित पेंशनर से आवेदन किये जाने की अपेक्षा न की जाये। इसी प्रकार पदक भत्ते का उल्लेख भी पी0पी0ओ0 में होने के कारण पदक भत्ते का भुगतान/पुनरीक्षण में कठिनाई नहीं होगी। कोषागारों द्वारा जब संबंधित पेंशनरों की पेंशन पुनरीक्षित की जाये, तो तत्संबंधी सूचना भी पेंशनरों को उपलब्ध करा दी जाये, जिसमें पुनरीक्षित पेंशन एवं राशिकरण आदि के समायोजन का भी उल्लेख किया जाये।

10- महँगाई राहत

पेंशन एवं पारिवारिक पेंशन पर समय-समय पर अनुमन्य महँगाई राहत देय होगी। इन आदेशों के अन्तर्गत पुनरीक्षित पेंशन/पारिवारिक पेंशन पर दिनाँक 01-01-2016 से शून्य प्रतिशत तथा दिनाँक 01-07-2016 से 02 प्रतिशत की दर से महँगाई राहत का भुगतान किया जायेगा।

11-अवशेष भुगतान की प्रक्रिया

(क)- इन आदेशों के तहत निर्धारित/पुनर्निर्धारित पेंशन/पारिवारिक पेंशन का भुगतान माह जनवरी, 2017 जिसका भुगतान फरवरी, 2017 में किया जाना है, से किया जाये। पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को जनवरी, 2016 से दिसम्बर, 2016 की अवधि के लिये देय अवशेष के 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय वर्ष 2017-18 तथा 50 प्रतिशत भाग का भुगतान वित्तीय

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

वर्ष 2018-19 में संबंधित वर्ष के माह अक्टूबर में नकद किया जायेगा। 80 वर्ष या उससे अधिक आयु के पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को देय अवशेष का भुगतान चालू वित्तीय वर्ष में ही किया जाये।

(ख)- किसी पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर को देय अवशेष भुगतान प्राप्त किये जाने के पूर्व मृत्यु हो जाने की दशा में उनके अवशेष के शेष देय भुगतान (अनुवर्ती वर्षों में देय भुगतान सहित) की धनराशि का एकमुश्त नकद भुगतान, ऐसे पेंशनर/पारिवारिक पेंशनर द्वारा अधिकृत व्यक्ति को अथवा नियमानुसार विधिक उत्तराधिकारी को, कर दिया जायेगा।

12- राजकोष से पेंशन पाने वाले पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों को पेंशन/पारिवारिक पेंशन की न्यूनतम पेंशन का निर्धारण संबंधित कोषागार द्वारा वित्त विभाग के स्तर से निर्गत किये गये शासनादेशों की व्यवस्थानुसार किया जायेगा। यह व्यवस्था सरकारी पेंशनरों/पारिवारिक पेंशनरों के साथ-साथ राज्य सरकार द्वारा अनुदानित शिक्षण संस्थाओं के शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों, तथा राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित ऐसी स्वायत्तशासी संस्थाओं, जिनके पेंशनरों को सरकारी पेंशनरों के समान पेंशन/पारिवारिक पेंशन की सुविधा अनुमन्य है, तथा जिनका भुगतान कोषागारों के द्वारा किया जा रहा है, पर लागू होगी। इन संस्थाओं के कर्मचारियों के अन्य सेवा नैवृत्तिक लाभों के संबंध में संबंधित विभागों द्वारा पृथक से आदेश किये जाने होंगे।

भवदीय,
अजय अग्रवाल
सचिव ।

संख्या-39/2016-सा-3-923(1)/दस-2016/308/16 तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- प्रमुख सचिव, श्री राज्यपाल, उत्तर प्रदेश।
3- प्रमुख सचिव, विधान सभा/विधान परिषद, उत्तर प्रदेश।
4- महानिबंधक, मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद।
5- निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
6- निदेशक, पेंशन, पेंशन निदेशालय, 8वॉं तल, इन्दिरा भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
7- निदेशक, कोषागार, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
8- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, इन्दिरा नगर, लखनऊ।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।
http://shasanadesh.up.nic.in

No. 39/2016-Gen-3-923/X-2016-308/2016

From

Ajay Agrawal
Secretrary,
Government of Uttar Pradesh

To

1- All Chief Secretary/Secretary, Government of Uttar Pradesh.
2- All Heads of Department/Heads of Main Offices, Government of Uttar Pradesh.

Finance (General) Section-3 Lucknow : Dated : 23 December, 2016

Sub :- Implementation of the decision of the State government regarding the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2016) – Revision of pension of pre-2016 pensioners/family pensioners etc.

Sir,

Inviting your attention to the above subject, I am directed to state that the Honourable Governor is pleased to issue orders for amendment in the provisions regulating the provisions related to the revision of pension of pre-01.01.2016 retired/deceased government civil pensioners/family pensioners after issuing Resolution No.62/2016-PC-2-2643/Ten-04(M)/2016 dated 16-12-2016 after due consideration of the recommendations of Part-2 of the first report of Uttar Pradesh Pay Commission (2016) by the State Government as given below.

2- This order will be applicable to those State Government pensioners controlled by Uttar Pradesh Civil Services Regulations, who are entitled to receive pension/ family pension under Uttar Pradesh Liberalized Pension Rules 1961, Uttar Pradesh Retirement Benefit Rules 1961, New Family Pension Scheme 1965 and GO No. Gl-3-969/X-933/85 dated 8.8.1986 and retired/deceased prior to 01.01.2016. This order will also be applicable to the pensioners receiving pension under Disability Pension and Extra Ordinary Pension Rules (Except Extra Ordinary Pension of non government persons) . But this order will not be applicable to Judges of High court, Chairman and members of Public Service Commission, non Government employees of Education Department, employees of Local Bodies and Public Undertakings etc

3- Under These Orders

(a)- Present pensioner/ family pensioner means those pensioners who were drawing pension/ family pension/entitled to receive pension/ family pension as on 31-12-2015 under the rules of the State government.

(b)- "Present pension" means the basic pension (including the commuted part, if any) which was payable on 31-12-2015. Pension includes all those categories of pension which has been mentioned in para-2 above.

(c)- "Present family pension" means the basic family pension permitted as on 31-12-1995 at the rates mentioned in GO No.Gen-3-657/X-900/78 dated 10-05-1978 or GO No. Gen-3-1563/X-921/81, dated 03-11-1981 under the New Family Pension Scheme, 1965 or as on 31-12-2015 to the family pensioners regulated by GO No. Gen-3-969/X-923/85, dated 08-08-1986.

4- Pension/ family pension of those present pensioners who have retired/deceased before 01-01-2016, will be calculated by multiplying the pension being received with 2.57 in continuation to the recommendations of the Uttar Pradesh Pay Committee (2008). The pension/ family pension will be fixed by rounding off the calculated amount to the next rupee.

Example-1 Pensioner A retires on 31-05-2015 receiving last basic pay of Rs.79000/- in the pay scale of Rs. 67000-79000, in the pay scales applicable on the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2008). His pension is fixed at Rs.39500/- in the pay scales applicable on the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2008). Applying the multiplier of 2.57 on the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2016) his pension will be revised and fixed at Rs.1,01,515.

Example-2 Pensioner B retires on 31-01-1989 in the pay scale Rs. 3000-100-3500-125-4500 in the pay scales applicable on the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2008) drawing last basic pay of Rs. 4000/- and at that time his pension was fixed at Rs. 1940/-. Based on the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2008) his revised pension is fixed at Rs. 12600/- On the recommendations of Uttar Pradesh Pay Commission (2016), on the basis of the multiplier of 2.57 his pension will be fixed at Rs. 32382/-.

5- Commuted amount, if any, will also be included in the revised pension. Monthly pension will be given as per the amount remaining after deducting the commuted amount.

6- From 01-01-2016 the amount of minimum pension will be Rs. 9000/-. (Except the additional pension received by the pensioners of age 80 years or more). The upper limit of the pension & family pension will be 50 percent and 30 percent respectively of the maximum pay available in the State Government.

6 (1) The additional amount of pension/family pension admissible to the old age pensioners/family pensioners shall continue to be received as shown below:

Age of Pensioner/ Family Pensioner	Additional amount of Pension/ Family Pension
Age of 80 years but less than 85 years	20% per month of the revised basic pension/family pension
Age of 85 years but less than 90 years	30% per month of the revised basic pension/family pension
Age of 90 years but less than 95 years	40% per month of the revised basic pension/family pension
Age of 95 years but less than 100 years	50% per month of the revised basic pension/family pension
Age of 100 years or above	100% per month of the revised basic pension/family pension

Additional pension shall be shown separately in the Pension Payment Order. For example, if the age of the pensioner is more than 80 years and his/her amount of pension is Rs.10000/- per month, pension will be shown as follows, (i) Basic Pension- Rs.10000/- (ii) Additional pension Rs.2000/-. On completion of 85 years of age, (i) Basic Pension Rs. 10000/- (ii) Additional Pension will be Rs. 3000/- per month.

6 (2) Dearness Relief sanctioned w.e.f. will also be included in the pension/family pension fixed as above.

7- In those cases, where the minimum amount of revised pension/family pension calculated is less than Rs. 9000/-, it will be upgraded to the level of Rs.9000/- and it will be the revised pension/ family pension w.e.f. 01-01-2016.

8- Pension, gratuity, pension commutation, family pension, dearness relief and other benefits like additional pension, family pension, ex-gratia lump sum compensation etc. to government pensioners which is payable as that of central government, may be made admissible in the revised pay scales effective from 01-01-2016.

9- Under these orders the revision of the pension/ family pension will be done by the concerned treasury. The minimum and maximum amount of pension being fixed as a result of the revision will be in accordance with the limits given in para-6 of this order. As a result of revision, wherever the amount of pension/ family pension is less than Rs.9000/- per month, the amount of pension/ family pension will be increased to Rs. 9000/- by the concerned treasury. Application should not be expected from the concerned pensioner/family pensioner for the revision of pension/family pension. As such, medal allowance is also mentioned in the PPO and therefore there will be no difficulty in the payment/ revision of medal allowance. Whenever the pension of concerned pensioners is revised by the treasury, the same may be informed to the pensioners, wherein the adjustment of revised pension and commutation etc. may also be mentioned.

<u>10- Dearness Relief</u>

Dearness relief admissible on pension/family pension from time to time will be payable. Under these orders, payment of dearness relief on pension/family pension at the rate of zero percent and two percent will be made from 01-01-2016 and 01-07-2016 respectively.

<u>11- Procedure for residual payment</u>

(a)- Under these orders, payment of fixed/re-fixed pension/ family pension may be made from the month of January 2017, the payment of which is to done in the month of February 2017. 50 percent of residual amount payable for the period from January 2016 to December 2016 to the pensioners/family pensioners may be made in the financial year 2017-18 and payment of remaining 50 percent may be made in the financial year 2018-19, in cash in the month of October of the concerned year. For pensioner/ family pensioner of the age of 80 years or more, payment of the residual amount may be made in the current financial year itself.

(b)- In case of death of any pensioner/ family pensioner before receiving the residual payment, payment of the remaining amount of residual payable to him/her (including the payment due in the following years) will be made in lump sum in cash to the person authorized by such pensioner/ family pensioner or to the legal heir as per rules.

12- The fixation of minimum pension/family pension of the pensioners/ family pensioners receiving pension from government treasury will be done by the concerned treasury as per the provisions of the Government Orders issued at the level of the Finance Department. Along with government pensioners/family pensioners, this provision will be applicable on the teachers and non teaching staff of the educational institutions aided by the State Government, and such autonomous institutions financed by the state Government whose pensioners have been permitted the benefit of pension/ family pension similar to that of governmental pensioners and

the payment of which is being done by the treasuries. Regarding other retirement benefits of the staff of these institutions, separate order will be issued by the concerned Departments.

Yours faithfully,

Ajay Agrawal,
Secretary.

No.-39/2016- Gen-3-923(1)/X-2016/308/16 As dated

Copy forwarded to the following for information and necessary action:-

1- Accountant General (Accounts & Entitlement) I/II, U.P, Allahabad
2- Chief Secretary, Honourable Governor, Uttar Pradesh.
3- Chief Secretary, Legislative assembly/Legislative Council, Uttar Pradesh.
4- Registrar General, Honb. High Court, Allahabad.
5- Director, Information & Public Relations Directorate, U. P, Lucknow.
6- Director, Pension, Pension Directorate, 8th Floor, Indira Bhawan, Uttar Pradesh, Lucknow.
7- Director, Treasury, Jawahar Bhawan, Uttar Pradesh, Lucknow.
8- Director, Finance Management Training & Research Institute, Indira Nagar, Lucknow.
9- All Addl/Joint Director, Treasury & Pension, Uttar Pradesh.
10- All Chief/Senior Treasury Officer, Uttar Pradesh.
11- All sections of the Uttar Pradesh Secretariat.

By order of,
Neel Ratan Kumar,
Special Secretary.